रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग ii—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, बुद्धवार, जनवरी 19, 1972/माघ 29, 1893
No. 26] NEW DELHI, WEDNESDEY, JANUARY 19, 1972 MAGHA/29, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 19th January 1972

G.S.R. 33(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts skimmed milk powder (hereinafter referred to as the goods) donated for the relief of the Bangla Desh Refugees from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that—

(a) it is certified by the manufacturer of the goods on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated for the relief of Bangla Desh Refugees without discrimination on the grounds of religion, race or caste or any of them and distributed free and without making any charge therefor,

(b) the goods are sent directly from the factory of manufacture to the Gujarat Rajya Bangla Desh Relief Committee, Ahmedabad, or the Bangla Desh Assistance Committee, New Delhi, or the Indian Red Cross Society, or the Department of Rehabilitation, Government of India, New Delhi/Calcutta, and

(c) the manufacturer produces, before the Central Excise Officer-in-Charge of the factory within two months of the date of removal of the goods from the factory or such extended period as the Collector of Central Excise may allow, a certificate from any one of the Agencies mentioned in clause (b) that the goods have been received by the Agency for the purpose of being distributed free and without making any charge therefor among the Bangla Desh Refugees without discrimination on the grounds of religion, race or caste or any of them.

[No. 14/72-CE/F. No. 12/22/71-CX.I.]

S. R. NARAYANAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 33 (अ)—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बंगला देश के शरणार्थियों की राहत के लिये दान किये गये, सप्रेटा दूध पाउडर (जिन्हें इसके पश्चात माल कहा गया है) उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है :

(क)—ऐसे माल के विनिर्माता द्वारा सुसंगत निकासी दस्तावेजों पर प्रमाणित किया जाए कि माल धर्म, मूलवंश या जाति या उनमे से किसी के आधार पर विभेद किये बिना, बंगला देश के शरणार्थियों की रहात के लिये दान किये जाने के लिये अभिप्रेत है और निःशुल्क या उसके लिये कोई प्रभार लिये बिना वितरित किया जाना है ;

(ख)—माल विनिर्माण के कारखाने से गुजरात राज्य बंगला देश सहाय समिति अहमदाबाद या बंगला देश सहाय समिति नई दिल्ली या इंडियन रैड क्रास सोसाइटी या भारत सरकार के पुर्नवास विभाग, नई दिल्ली/कलकत्ता को सीधे भेजा जाए, और

(ग)—विनिर्माता, कारखाने के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भार साधक अधिकारी के समक्ष कारखाने से माल हटाने की तारीख से दो मास या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, खंड (ख) मे उल्लिखित अभिकरणों मे से किसी एक अभिकरण के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि माल धर्म, मूलवंश, या जाति या उन में से किसी के आधार पर विभेद किये बिना बगला देश के शरणार्थियों के बीच निःशुल्क और उसके लिये कोई प्रभार लिये बिना वितरित करने के लिये प्राप्त हुआ है।

[सं० 14/72—के० उ० शु०/फा सं० 12/22/71 के० उ० शु० I]

एस० आर० नारायणन,

अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972